बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–46 / 2016– 3864 / कृ0, पटना, दिनांक 03-10-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **बिहार बागवानी विकास सोसाइटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम एम.आई.डी.एच. अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2017–18 में 4963.30 लाख (उनचास करोड़ तीरसठ लाख तीस हजार) रूपये (केन्द्रांश 2631.00 लाख, राज्यांश 1754.00 लाख एवं टॉप–अप 578.30 लाख रूपये) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

बिहार बागवानी विकास सोसाइटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम एम.आई.डी.एच. अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2017–18 में 4963.30 लाख (उनचास करोड़ तीरसठ लाख तीस हजार) रूपये (केन्द्रांश 2631.00 लाख, राज्यांश 1754.00 लाख एवं टॉप–अप 578.30 लाख रूपये) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्यादेश केन्द्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में निर्गत किया जा रहा है तथा केन्द्रांश की विमुक्ति के पश्चात समानुपातिक राज्यांश के साथ राशि की निकासी की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 4770.75 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी जिसके विरूद्ध केन्द्रांश मद में कुल 1796.00 लाख रूपये, राज्यांश मद में 1197.3334 लाख रूपये एवं टॉप अप मद में राज्य योजना मद से 385.75 लाख रूपये अर्थात कुल 3379.0864 लाख रूपये की निकासी की गयी है। इसके विरूद्ध भौतिक उपलब्धि 240888.30 (सं0 / हे0) हुई है जो वित्तीय उपलब्धि 3286.68 लाख रूपये के समतुल्य है। यह राशि पी0एल0 खाते में जमा है। योजना पूर्ण होने के उपरांत भुगतान की जा सकेगी। स्कीम कार्यान्वयन के संबंध में यथाआवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

3. बागवानी फसलों को बढ़ावा देना कृषि रोड मैप का एक प्रमुख लक्ष्य है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का 2017–18 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसूची–1(अवयववार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य) एवं अनुसूची–2 (जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य) संलग्न है। स्कीम में वैसे कार्यक्रम और अवयव भी शामिल है जिसका कार्यान्वयन अनुवर्त्ती (2018–19) वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो सकेगा। स्कीम के तहत कृषकों का पंजीकरण भारत सरकार कृषि मंत्रालय के हार्टनेट बेवसाईट पर किया जायेगा। स्कीम हेतु कृषको का चयन कलस्टर में किये जाने का प्रयास किया जायेगा, जिससे कि कोरिडोर का विकास हो सके।

4. **एम.आई.डी.एच.** अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश 60 प्रतिशत राज्यांश 40 प्रतिशत) है। वित्तीय वर्ष 2016–17 की भाँति वित्तीय वर्ष 2017–18 में भी इस स्कीम में शामिल कतिपय मदों के इकाई लागत में वृद्धि एवं इकाई लागत पर निर्धारित अनुदान दरों को 35% से 50% को अक्षुण्ण रखा गया है। फलतः इस स्कीम के वैसे मदों जिसके अनुदान दरें 35% से 40% है, में 10% से 15% के वृद्धि के प्रस्ताव को पूर्व की भाँति कार्यक्रम में शामिल किया गया है। विभागीय यूनिट कॉस्ट कमिटी द्वारा इस वृद्धि का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2014–15 में ही अनुमोदित है, वित्तीय वर्ष 2017–18

में सम्पादित विभागीय यूनिट कॉस्ट कमिटि द्वारा इसे अक्षुण्ण रखने की अनुशंसा किया गया है। साथ ही साथ एम.आई.डी.एच. (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) स्कीम का स्वीकृत इकाई लागत एवं अनुदान दर (अनुसूची–3) संलग्न है।

5. राष्ट्रीय बागवानी मिशन में भारत सरकार द्वारा कार्यमद, इकाई लागत एवं अनुदान दर निर्धारित किया गया है। यह राज्य के 23 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका वित्त पोषण केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की निधि से किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत वास्तविक लागत से कम है। अतः राज्य सरकार के द्वारा कतिपय मदों में अतिरिक्त अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। (विवरणी अनुसूची– 4 में संलग्न की गयी है)।

6. प्रस्ताव में शामिल स्कीमों के लिए कतिपय कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई दर को यथावत् रखते हुये गत वर्ष 10–15 प्रतिशत अतिरिक्त टॉप–अप अनुदान राज्य मद की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस अतिरिक्त अनुदान को अक्षुण्ण रखा गया है। तद्नुसार राशि की आवश्यकता का आकलन किया गया है। वर्द्धित अनुदान गत् वर्ष की भांति समान रूप से सभी जिलों में एक समान लागू होगी।

7. वर्ष 2017–18 के लिए टिशू कल्चर केला, अनानास, पपीता, स्ट्रॉबेरी, हाई डेन्सिटी प्लांटिंग हाईब्रीड वेजीटेबल, बेल्बुलस एवं लूज फलावर, राईजोमेटिक मशाला, एरोमैटिक प्लांट, मशरूम, अंडा उत्पादन केन्द्र, मधुमक्खी का छत्ता एवं कतिपय अन्य अवयवों पर अतिरिक्त अनुदान पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. बागवानी मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के अध्यक्ष, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान–सह–सदस्य सचिव मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी एवं कार्यकारी प्रधान–सह–सदस्य सचिव सहायक निदेशक उद्यान नामित हैं।

9. कृषि विभाग द्वारा प्राप्त केन्द्रांश की राशि, सामानुपातिक राज्यांश की राशि एवं अतिरिक्त टॉप–अप की राशि ट्रेजरी मोड में वित्तीय लक्ष्य के अनुसार संबंधित सहायक निदेशक उद्यान एवं राज्य बागवानी मिशन को उपलब्ध करायी जायेगी। जिले के लिए आवंटित राशि कि निकासी संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संबंधित जिले के कोषागार से किया जायेगा जबकि राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय के लिए आवंटित राशि निदेशक उद्यान द्वारा सचिवालय कोषागार से निकासी कर मिशन निदेशक बिहार बागवानी विकास सोसायटी को PLA खाता में जमा करने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

10. वर्ष 2017–18 के लिए बजट शीर्ष और उपबंधित राशि निम्न प्रकार है,

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 1, उप शीर्ष 0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड 01–2401001190224, पी०एफ०एम०एस० कोड–9141, विषय शीर्ष 0224.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	2183.73	2183.73
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक स्कीम, माँग संख्या 1, उप शीर्ष 0235–राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड 01–2401007890235, पी.एफ.एम.एस. कोड–9141, विषय शीर्ष 0235.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	420.96	420.96
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप स्कीम, माँग संख्या 1, उप शीर्ष 0257–राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड 01–2401007960257, पी०एफ०एम०एस० कोड– 9141, विषय शीर्ष 0257.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	26.31	26.31
योग	**2631.00**	**2631.00**

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 1, उप शीर्ष 0324–राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड 01–2401001190324, पी०एफ०एम०एस० कोड– 9141, विषय शीर्ष 0324.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	1455.82	1455.82
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक स्कीम, माँग संख्या 1, उप शीर्ष 0335–राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड 01–2401007890335, पी.एफ.एम.एस. कोड– 9141, विषय शीर्ष 0335.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	280.64	280.64
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप स्कीम, माँग संख्या 1, उप शीर्ष 0357–राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड 01–2401007960357, पी.एफ.एम.एस. कोड– 9141, विषय शीर्ष 0357.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	17.54	17.54
योग	**1754.00**	**1754.00**
अतिरिक्त टॉप–अप राज्य स्कीम मद से		
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 1, उप शीर्ष 0101–उद्यान विकास स्कीम, विपत्र कोड 01–2401001190101, विषय शीर्ष 0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	6391.00	479.989
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक स्कीम, माँग संख्या 1, उप शीर्ष 0130–उद्यान विकास स्कीम, विपत्र कोड 01–2401007890130, विषय शीर्ष 0130.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	1232.00	92.528
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप स्कीम, माँग संख्या 1, उपशीर्ष 0152–उद्यान विकास स्कीम, विपत्र कोड 01–2401007960152, विषय शीर्ष 0152.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	77.00	5.783
योग	**7700.00**	**578.30**
कुल योग	**12085.00**	**4963.30**

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या– पी0पी0एम0–46/2016 के पृ0– 37/टि. पर दिनांक–24.08.2017 को एवं प्रधान सचिव, कृषि का पृ0– 37/टि. पर दिनांक–24.08.2017 अनुमोदन प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–46/2016 के पृ0सं0–39/टि. पर दिनांक– 26.09.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

2.10.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–46/2016 3864 /कृ0, पटना, दिनांक 03-10- 2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\MIDH (2017-18) 28.06.2017.docx

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–46 / 2016 3864 / कृ0, पटना, दिनांक 03-10-2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–46 / 2016 3864 / कृ0, पटना, दिनांक 03-10-2017

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–46 / 2016 3864 / कृ0, पटना, दिनांक 03-10-2017

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / निदेशक, बामेति, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना / बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\MIDH (2017-18) 28.06.2017.docx